मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सं:**1:05:374:4:**एसीक्यू **20** मार्च, 2019

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), **मुंबई - 400 051**	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट संबंध विभाग, फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001

विषय: सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार प्रकटन।

महोदय,

सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 30 के साथ पठित सेबी के दिनांक 9 सितंबर, 2015 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ़डी/सीएमडी/4/2015 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति से आरईसी लिमिटेड के 103,**93,99,343** इक्विटी शेयरों (आरईसी लिमिटेड की शेयर पूंजी का 52.63%) के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में अपेक्षित प्रकटन संलग्न हैं।

सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

संलग्न: यथोपरि।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के विनियम 30 के साथ पठित सेबी के दिनांक 09.09.2015 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ़डी/सीएमडी/4/2015 के अनुसार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकटन

****

भारत के राष्ट्रपति से आरईसी लिमिटेड की पूंजी में इक्विटी शेयरों के 52.63% के अधिग्रहण हेतु करार के निष्पादन पर प्रकटन

क) टार्गेट कंपनी का नाम, आकार, टर्नओवर आदि के रूप में संक्षिप्त ब्यौरा:

आरईसी लिमिटेड

आरईसी लिमिटेड (□आरईसी□) का निगमन 25 जुलाई, 1969 को हुआ था। यह एक नवरतन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि एवं गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान कर रही है। आरईसी वर्ष 2010 से आरबीआई के साथ प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। आरईसी के इक्विटी शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

31 मार्च, 2018 तक आरईसी का तुलन-पत्र 2,**46,484.46** रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 22,**440.31** करोड़ रुपए के टर्नओवर और 4,**647** करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ के साथ कुल ऋण बही 2,**39,449.34** करोड़ रुपए रही (सभी आंकड़े स्टैंडअलोन पर आधारित हैं)। आरईसी द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन (परंपरागत एवं नवीकरणीय दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, पावर प्लांटों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की परियोजनाओं/स्कीमों को वित्त-पोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरईसी को समग्र ग्रामीण विकास एवं देश में **'24x7** पावर फॉर ऑल' की सुविधा प्रदान करने संबंधी भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों 'सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) और 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' **(**डीडीयूजीजेवाई**)** के प्रचालन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। इसके साथ ही, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड (एनईएफ़) के लिए भी आरईसी नोडल एजेंसी है, जो वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार हेतु सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत संस्थाओं, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए एक ब्याज अनुदान स्कीम है।

ख) क्या अधिग्रहण संबद्ध पक्षकार लेन-देन के भीतर आएगा और क्या प्रोमोटर/प्रोमोटर ग्रुप/ग्रुप कंपनियों का अधिग्रहण की जा रही कंपनी में कोई हित है**?** यदि हां, हित की प्रकृति एवं उसका ब्यौरा तथा क्या यह *□आर्म लेंथ□* पर किया गया है:

पीएफसी (61.02%) औए आरईसी (52.63%) दोनों के एक ही प्रोमोटर होने के कारण भारत के राष्ट्रपति विक्रेता हैं। सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार लेन-देन सरकार और सरकारी कंपनी के बीच एक संबद्ध पक्षकार लेन-देन है।

इस लेन-देन के लिए सेबी ने दिनांक 27 दिसंबर, 2018 के अपने पत्र द्वारा एलओडीआर के विनियम 23(2), 23(3) और 23(4) के लागू होने से अपेक्षित छूट दी है।

कंपनी अधिनियम 2013 (□अधिनियम□) के संबंध में, अधिनियम की धारा 188(1) के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 (□नियम□) के नियम 15(3) लेन-देन की उस सीमा को स्पष्ट करते हैं, जिसके आगे संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। □किसी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति□ की श्रेणी के संबंध में, सीमा को टर्नओवर के 10% या उससे अधिक अथवा 100 करोड़ रुपए के रूप में निर्धारित किया गया है, जो भी कम हो। वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती लेन-देन के साथ व्यक्तिगत या एक-साथ किए गए लेन-देन पर उक्त सीमा लागू है। आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार की 52.63% शेयरधारिता की बिक्री एवं खरीद के लिए भारत के राष्ट्रपति और पीएफसी के बीच लेन-देन नियमावली के नियम 15(3) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है।

एमसीए ने दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) द्वारा किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदा या व्यवस्था के संबंध में सरकारी कंपनी पर धारा 188(1) का प्रथम एवं द्वितीय प्रावधान लागू करने से छूट दी है। तथापि, सरकार और सरकारी कंपनी के बीच लेन-देन करने के लिए इस प्रकार की कोई छूट नहीं है।

पीएफसी के शेयरधारकों ने दिनांक 19 मार्च, 2019 को आयोजित असामान्य आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और अन्य लागू प्रावधान/नियमों, यदि कोई हों, के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सामान्य संकल्प पास करके उक्त संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

लेन-देन आर्म लेंथ मूल्य पर किया गया है, जिसका निर्धारण पीएफसी द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ अन्य के आधार पर किया गया है।

ग) *उद्योग जिससे अधिग्रहण की जा रही कंपनी संबंधित है:*

गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं।

घ) *अधिग्रहण का उद्देश्य एवं प्रभाव:*

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) में भारत सरकार की 52.63% की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता की कार्यनीतिक बिक्री के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपना 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के बाद, पीएफसी के निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों, सेबी, आरबीआई और सीसीआई से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए थे।

इस निर्णय से दोनों संस्थाओं के बीच ऋण प्रक्रियाओं एवं नीतियों में बेहतर दक्षता आएगी और विद्युत क्षेत्र के लिए बेहतर ऋण उत्पाद प्रदान करने में सार्वजनिक रूप से मूल्य संवर्धन होगा। दो संस्थानों के बीच एक ही प्रबंधन होने से उत्पादन, पारेषण, नवीकरणीय एवं वितरण उप-क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थागत विशेषज्ञता से बेहतर विकास होगा। संयुक्त समूह कंपनियों के रूप में कंपनियों के बीच हुए अभिसरण से आरईसी लिमिटेड की विकेंद्रीकृत पहुँच और पीएफसी की पेशेवर परियोजना वित्त विशेषज्ञता से विद्युत क्षेत्र को हितलाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, समूह की परिसंपत्तियों का आगामी विविधिकरण और पोर्टफोलियो जोखिम, इन संस्थानों को बेहतर एवं समन्वयक रीति से स्ट्रेस्ड विद्युत क्षेत्र परिसंपत्तियों के समाधान का प्रबंध करने में मदद करेगी।

ङ) अधिग्रहण के लिए अपेक्षित किसी सरकारी या विनियामक अनुमोदनों का संक्षिप्त ब्यौरा:

अनुमोदन/छूट	प्राधिकरण	स्थिति	अनुमोदन/छूट की तारीख
संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन या पूर्व लेखा-परीक्षा समिति अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सेबी छूट - विनियम 23(2), 23(3) और 23(4) (एलओडीआर,**2015**)	सेबी	अनुमोदित	दिनांक 27 दिसंबर, 2018 के साथ पठित दिनांक 25 जनवरी, 2019 की ई-मेल
आरईसी - प्रबंधन में बदलाव के लिए अनुमोदन - पैरा 64 - आरबीआई मास्टर दिशा-निर्देश - एनबीएफ़सी	आरबीआई	अनुमोदित	दिनांक 12 फरवरी, 2019
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के अंतर्गत सीसीआई अनुमोदन	सीसीआई	अनुमोदित	दिनांक 07 मार्च, 2019
सीए-2013 (सामान्य संकल्प) की धारा 188 के अंतर्गत संबद्ध पक्षकार लेन-देन के लिए अनुमोदन	पीएफसी शेयरधारक	अनुमोदित	दिनांक 19 मार्च, 2019

सीसीईए द्वारा दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को लेन-देन के लिए अपना साइधनिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मूल्य, लेन-देन की निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित वैकल्पिक तंत्र द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2019 को अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।

च) अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त होने की अनुमानित समयावधि:

दिनांक 31 मार्च, 2019 को या उससे पूर्व।

छ) लेन-देन पर लिए गए निर्णय की प्रकृति - क्या नकद लेन-देन या शेयर स्वेप और उसका ब्यौरा:

नकद लेन-देन।

ज) अधिग्रहण की लागत या मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किए गए हैं:

प्रति शेयर 139.5036 रुपए; 14499,**99,50,186/-** रुपए का कुल लेन-देन

झ) अधिग्रहित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अधिग्रहित शेयरों की संख्या:

*आरईसी लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी के 52.63% की 10 रुपए प्रति शेयर की राशि के **1,03,93,99,343** इक्विटी शेयर*

ञ) अधिग्रहित उत्पाद/लाइन, निगमन की तारीख, पिछले 3 टर्नओवर का इतिहास, देश जिसमें अधिग्रहित कंपनी है के संबंध में अधिग्रहित कंपनी के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)

नाम:	आरईसी लिमिटेड
सीआईएन:	**L40101DL1969GOI005095**
क्या सूचीबद्ध है:	जी हाँ, एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध है [आरईसीएल/532955]
निगमन की तारीख:	दिनांक 25.07.1969
व्यापार की लाइन:	गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ

पिछले तीन वर्ष के दौरान टर्नओवर: (करोड़ रुपए - स्टैंडअलोन आधार)

वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
23,**756.23**	24,**095.35**	22,**440.31**

****

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव